"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 368] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 अगस्त 2013—श्रावण 28, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

रायपुर, दिनांक 07 अगस्त, 2013—(श्रावण 16, 1935)

अधिसूचना

क्रमांक-9485/वि. स./स्था/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय (सेवा शर्तें) नियम 1990 के नियम 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 तथा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें आदेश) नियम 1990 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्वीकृत अमला के सरल क्रमांक 35 में सहायक मार्शल के पद का वेतनमान पुनरीक्षित वेतन बैण्ड 5200-20200 ग्रेड पे 2800/- के स्थान पर 9300-34800 ग्रेड पे 4200/- प्रतिस्थापित किया जाता है.

2. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्वीकृत अमला के सरल क्रमांक 33 में उल्लेखित मार्शल का वेतनमान अपरिवर्तित रहेगा.

3. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्वीकृत अमला के सरल क्रमांक 20 में चीफ मार्शल के पद का वेतनमान पुनरीक्षित वेतन बैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4400/- के स्थान पर 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- प्रतिस्थापित किया जाता है.

ये आदेश दिनांक 02-07-2013 से प्रवृत्त समझे जायेंगे.

आदेशानुसार
हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.